Ministry of Environment, Forest & Climate Change

NABARD

प्रशिक्षण मॉड्यूल 5

कृषि-मौसम सम्बन्धित सलाह स्थानीय मौसम की परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाएँ

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

कॉपीराइट © 2019: पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन का कोई भी भाग फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक तरीकों सहित किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से प्रकाशक अर्थात् पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को पूर्व लिखित अनुमति एवं सूचना के बिना पुनः प्रस्तुत, वितरित या प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

खंडन

यद्यपि हमने इस मॉड्यूल में दी गई जानकारी व आँकड़ों को विश्वसनीय सूत्रों से लेने का हर सम्भव प्रयास किया है। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार इस जानकारी से जुड़ी त्रुटियों व इस जानकारी का प्रयोग करने से प्राप्त किए गए परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह मॉड्यूल मात्र अव्यवसायिक उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया है और इसमें प्रस्तुत चित्रों को, चाहे वे किसी भी वेबसाइट या दस्तावेज से लिए गए हों, सिर्फ इस दस्तावेज की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार इस मॉड्यूल में प्रयोग किए गए चित्रों पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं।

हिमाचल प्रदेश के सूखा प्रभावित जिलों में कृषि पर निर्भर ग्रामीण समुदायों की सतत् आजीविका का जलवायु परिवर्तन के बेहतरीन तरीकों से समाधान

जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC)
के अन्तर्गत एक प्रयास

अनुक्रमणिका

सत्र-1 विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं उनके प्रावधान 1

सत्र-2 विभिन्न बीमा उत्पाद, बीमाकृत राशि व जोखिम न्यूनीकरण 10

मॉड्यूल 5

कृषि-मौसम सम्बन्धित सलाह: स्थानीय मौसम की परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाएँ

परिचय

कृषि और बागवानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को पूरे भारत में देखा जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में तो इसका प्रभाव और भी अधिक है। राज्य में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है और जलवायु परिवर्तन का कृषि व बागवानी पर सीधा असर पड़ता है। तापमान में वृद्धि व वर्षा के बदलते स्वरूप पानी की गंभीर कमी, सूखा, पौधों में बीमारियों और कीट प्रकोप की घटनाओं को बढ़ाएँगे।

कृषि–मौसम संबंधी सलाह विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और फसल स्वरूपों के अनुसार कृषिक्षेत्र के संचालन एवं कृषि–संबंधी गतिविधियों के नियोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह अनुमान लगाया जाता है कि लंबी अवधि में इस क्षेत्र के बागवानी–कृषि उत्पादन में एक चौतरफा कमी आ सकती है और किसानों को जलवायु परिवर्तनशीलताओं और चरम घटनाओं से अपनी फसल की रक्षा करने के लिए सूखा–शमन, जलवायु–प्रतिरोधक फसल किस्मों और विधियों, कीट और बीमारियों के नियन्त्रण की रणनीतियों के प्रति संवेदीकृत व प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से, एक प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन का अभ्यास किया गया जिसमें चिन्हित किए गए प्रशिक्षण संबंधी कमियाँ निम्नलिखित हैं:

- ★ बीमा से जुड़ी हुई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में कम ज्ञान
- ★ कृषि–संबंधी विभिन्न योजनाओं, उनके प्रावधानों व लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में अपर्याप्त ज्ञान
- ★ बागवानी–संबंधी विभिन्न योजनाओं, उनके प्रावधानों व लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाओं के बारे में अपर्याप्त ज्ञान

सतत एवं जलवायु प्रतिरोधक कृषि के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रसारित कृषि–संबंधी सलाहों को प्राप्त करने, समझने और उन्हें प्रयोग करने के बारे में ज्ञान और दक्षताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से ही इस मॉड्यूल को डिजाइन किया गया है। इस मॉड्यूल के अन्तर्गत, 2 उप–सत्रों को डिजाइन किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं:

- ★ विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं उनके प्रावधान
- ★ विभिन्न बीमा उत्पाद, बीमाकृत राशि व जोखिम न्यूनीकरण

सत्रों के प्रभावशाली सुगमीकरण के लिए, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, हैंडआऊट्स, चार्ट पेपर, व्हाइट बोर्ड व मार्कर्स, गतिविधि पत्रक व संदर्भ–सामग्री जैसी सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। उपयुक्तता के आधार पर, केस स्टडी, वीडियो शो और परस्पर विमर्श का आयोजन किया जाएगा। अंत में, सत्रों की उपयोगिता को जानने के लिए औपचारिक व अनौपचारिक फीडबैक लिया जाएगा।

इसके अलावा, प्रतिभागियों द्वारा अर्जित ज्ञान को विभिन्न विषयों से जुड़े मुख्य प्रश्नों के एक सेट व उत्तर तालिका की सहायता से जाँचा जाएगा।

मॉड्यूल अवलोकन

इस मॉड्यूल का डिजाइन प्रसार अधिकारियों एवं प्रमुख किसानों की क्षमता का विकास उन कृषि एवं कृषि आर्थिकी की विधियों को चिन्हित व क्रियान्वित करने के लिए किया गया है जो कृषक समुदायों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ–साथ उनकी प्रशिक्षण संबंधी सुगमीकरण की क्षमता का विकास करे ताकि इस ज्ञान एवं कौशल का प्रभावी ढंग से साथी किसानों में हस्तांतरण हो सके।

उद्देश्य

विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके कृषि–केंद्र, बीमा उत्पादों समेत अधोसंरचनात्मक विकास संबन्धित प्रावधानों के जरिए कृषि–संबंधी सलाह व विशेषज्ञ परामर्श के बारे में समझ विकसित करना।

प्रशिक्षण का परिणाम

इस मॉड्यूल के अंत तक प्रतिभागी योग्य होंगेः

- ★ कृषि–मौसम संबंधी सलाह के महत्व पर ज्ञान प्राप्त करने में
- ★ जमीनी–स्तर पर क्रियान्वयन हेतु परामर्शों का अनुवाद करने में
- ★ फसल बीमा और सरकार द्वारा चलाई जा रहीं अन्य योजनाओं को बेहतर तरह से समझने में

सत्र डिजाइन

विभिन्न सरकारी योजनाएँ तथा उनके प्रावधान- मृदा स्वास्थ्य, कृषि-क्लीनिक, अधोसंरचनात्मक विकास एवं अन्य

- परिचय
- कृषि-मौसम विज्ञान सेवाओं का प्रसार
  - जिला कृषि-मौसम विज्ञान परामर्श सेवा बुलेटिन
  - m-किसान
  - सलाह का वितरण
  - किसान कॉल सेंटर में पंजीकरण कैसे कराएँ
  - किसान पोर्टल- किसानों के लिए एकल बिन्दु सुविधा
  - कृषि-क्लीनिक व कृषि-व्यवसाय सेवा योजना
    - कृषि-क्लीनिक
    - कृषि-व्यवसाय केंद्र
    - मुख्य बढ़ाएँ
    - सुधारी गई कृषि क्लीनिक एवं कृषि-व्यवसाय केंद्र योजना
    - प्रशिक्षण तंत्र
    - प्रशिक्षण घटक
- विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं लाभ

विभिन्न बीमा उत्पाद, बीमाकृत राशि व जोखिम न्यूनीकरण

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)
- मौसम-आधारित फसल बीमा योजना (डबल्यू.बी.सी.आई.एस.)
  - किसानों का बीमा
  - फसलों का बीमा
  - बीमाकृत मौसमी तनाव
  - बीमा अवधि

सत्र-1 विभिन्न सरकारी योजनाएं और उनके प्रावधान- मृदा स्वास्थ्य

उद्देश्य

- प्रतिभागियों को स्थानीय भाषा में जिला कृषि–मौसम बुलेटिनों तक पहुंचने के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए, **m-किसान** पोर्टल और किसान कॉल सेंटर सहित अन्य सहायक तकनीकों तक पहुंचने के तरीकों का उपयोग
- कृषि–क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र और विभिन्न ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित योजनाओं और उनके लाभों जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना

सरलीकरण

चरण 1 सुगमकर्ता पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हैंडआउट्स का परिचय दें। इसमें सत्र का उद्देश्य और प्रक्रिया शामिल होगा। सुगमकर्ता द्वारा इस सत्र को लिया जाएगा।

चरण 2 प्रतिभागियों को मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की समझ और जलवायु प्रतिरोधक क्षमता के लिए उनके उपयोग के महत्व पर जोर दें।

चरण 3 सुगमकर्ता प्रतिभागियों से पूछेगा कि वे कौन सी सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं जो उनके क्षेत्र में कृषि और बागवानी से संबंधित हैं। तब वह विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके लाभों और उनका उपयोग करने के तरीके का वर्णन करेगा।

आवश्यक सामग्रीः
पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, प्रासंगिक हैंडआउट्स, चार्ट पेपर, मार्कर, टेप

समयः
30 मिनट

सीखने योग्य तथ्य

S 1

विभिन्न सरकारी योजनाएं और उनके प्रावधान

पृष्ठभूमि

मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह मिट्टी पर इसके प्रभाव और पौधों के विकास और विकास के हर चरण में अपना प्रभाव रखता है। साथ ही, फसल और पशु रोग मौसम से बहुत प्रभावित होते हैं। यदि मौसम अनुकूल नहीं है, तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि उत्पादन में वार्षिक नुकसान का लगभग तीन चौथाई को प्रभावित करेगा। हालांकि, अग्रिम समय पर और सटीक मौसम भविष्यवाणी के साथ तात्कालिक उपायों के माध्यम से फसल के नुकसान को कम किया जा सकता है। आम तौर पर कृषि–मौसम विज्ञान या मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं कहा जाता है। इस तरह की मौसम आधारित सलाह, आने वाले मौसम परिस्थितियों के अनुकूल दीर्घ समय या मौसमी योजना और फसलों के चयन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है।

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं को लघु–श्रेणी के पूर्वानुमान (48 घंटे तक), मध्यम श्रेणी के पूर्वानुमान (3-10 दिन) और लंबी दूरी के पूर्वानुमान (एक सप्ताह से पूरे सीजन) में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक पूर्वानुमान खेत संचालन और कृषि गतिविधियों की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिमला में 2003 से कार्यरत कृषिविज्ञान केंद्र की कृषि मौसम विज्ञान इकाई, मौसम पूर्वानुमान प्रदान करती है और इन पूर्वानुमानों के आधार पर, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कृषि–मौसम संबंधी सलाह राज्य कृषि और बागवानी विभाग के सहयोग से जारी की जाती है।

ये द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी में) बुलेटिनों को स्थान–विशेष मौसम पूर्वानुमान और एग्रोमेट सलाहकार सेवा (ए.ए.एस.) के रूप में ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों और आईएमडी की वेबसाइट के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर जलवायु परिस्थितियों और फसल पैटर्न के अनुसार प्रसारित किया जाता है।

कृषि–मौसम विज्ञान सेवाओं का विस्तार

- **जिला कृषि मौसम (एग्रोमेट) सलाहकार सेवाएं बुलेटिन**

  जिला कृषि मौसम (एग्रोमेट) सलाहकार सेवाएं बुलेटिन की जानकारी पाने के लिए दिये हुए लिंक पर क्लिक करें
  सलाहकार सेवाएं बुलेटिन: http://www.imdagrimet.gov.in/node/3494
  अपने जिले का चयन करें >> अपना ब्लॉक चुनें >> भाषा चुनें (हिंदी / अंग्रेजी)

जिला कृषि मौसम : एग्रोमेट सलाहकार सेवाएँ बुलेटिन

मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं से संबंधित एक व्यापक विस्तृत श्रेणी हैं:

- मानसून की शुरुआत के आधार पर खरीफ फसलों की बुवाई / रोपाई
- अवशिष्ट मिट्टी की नमी का उपयोग करके रबी फसलों की बुवाई।
- वायु की स्थिति के आधार पर उर्वरक उपयोग ।
- बारिश की तीव्रता के आधार पर उर्वरक उपयोग में देरी।
- मौसम के आधार पर कीट और बीमारी की घटना का पूर्वानुमान।
- कीट और रोगों के उन्मूलन के लिए उचित समय पर सही सक्रिय उपाय।
- फसल की बेहतर वृद्धि और विकास के लिए नियमित अंतराल पर निराई / गुड़ाई करें।
- फसल की महत्वपूर्ण अवस्था में सिंचाई करें।
- मौसम संबंधी सीमांत समय का उपयोग करके सिंचाई की मात्रा और समय।
- फसलों की समय पर कटाई के लिए सलाह।

• mकिसान

किसानों के लिए एसएमएस पोर्टल, कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र जैसी विभिन्न एजेंसियों को किसानों को उनकी भाषा में एसएमएस करके कृषि उपायों और स्थान के अनुसार जानकारी / सेवाएं / सलाह देने में सक्षम बनाता है। ये संदेश किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रासंगिकता के लिए एक विशेष बिंदु पर विशिष्ट होते हैं और किसान कॉल सेंटरों में भारी मात्रा में कॉल उत्पन्न करते हैं जहां लोग अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉल करते हैं। किसानों के सवालों के जवाब 22 स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं।

• मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं का प्रसार

- ❑ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन
- ❑ निजी टीवी और रेडियो चौनल
- ❑ समाचार पत्र और इंटरनेट
- ❑ आईसीएआर और अन्य संबंधित संस्थान /कृषि विश्वविद्यालय / राज्य / केंद्रीय कृषि विभाग का विस्तृत नेटवर्क
- ❑ कृषि विज्ञान केंद्र
- ❑ सलाह अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं / बोलियों में प्रसारित की जाती है और किसानों को आसानी से समझ में आती है।

• किसान कॉल सेंटर के लिए पंजीकरण कैसे करें

➢ कॉल के माध्यम से

किसान 1800–180–1551 टोल फ्री नंबर के माध्यम से किसान कॉल सेंटर (केसीसी) को फोन कर सकते हैं। किसानों का पंजीकरण किसान कॉल सेंटर एजेंट द्वारा किया जाता है जो किसान की व्यक्तिगत जानकारी को किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करता हैं। किसान को एसएमएस या वाणी संदेश से जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने विकल्प को चुनने के लिए कहा जाता है जिसकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। पंजीकरण करने पर, किसान को तुरंत एक स्वागत एसएमएस संदेश प्राप्त होगा। किसान अधिक से अधिक 8 फसलों या गतिविधियों के विकल्प चुन सकता है जिस पर वे सन्देश प्राप्त करना चाहते है।

➢ वेब पंजीकरण[3]

वह किसान जिनके पास इंटरनेट की सुविधा हैं पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं अथवा वह पास के सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर, ग्राम स्तरीय उद्यमी के द्वारा रजिस्टर हों सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए एक बार में तीन रुपए का शुल्क ग्राम स्तरीय उद्यमी द्वारा लिया जाएगा । वेब पंजीकरण के लिए निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण अनिवार्य हैं :नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला और ब्लाक। किसान जानकारी प्राप्त करने के लिये भाषा एवं फसल व गतिविधियों के बारे में अपनी पसंद का चुनाव कर सकता है।

[3] वेब पंजीकरण के लिए लिंक *http://mkisan.gov.in/wbreg.aspx*

➢ **एस.एम.एस. के माध्यम से पंजीकरण**

किसान 51969 या 7738299899 पर एक एसएमएस भेजकर पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए प्रक्रिया और स्वरूप इस प्रकार हैं:–
संदेश बॉक्स में टाइप के लिए प्रारूप है – "KISAAN REG <NAME>, <STATE NAME >, <DISTRICT NAME>, and <BLOCK NAME>" (राज्य, जिला और ब्लॉक के नाम के केवल पहले 3 वर्णों की आवश्यकता होती है)
किसान से इस एसएमएस के लिए शुल्क लिया जाएगा।

➢ **प्रसार कार्यकर्ता द्वारा पंजीकरण**

जिला / ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉक प्रौद्योगिकी प्रबंधकों, सहायक प्रौद्योगिकी प्रबंधकों और अन्य सभी विस्तार अधिकारियों को अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान एमकिसान पोर्टल के लिए किसानों के आँकड़े एकत्र करने और आधारभूत आंकड़ों में दर्ज करने या प्राप्त करने की आवश्यकता है।

- **किसान पोर्टल – किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप**

कृषि और सहकारिता विभाग का किसान पोर्टल[4] किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने का एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों, विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मृदा उर्वरता, भंडारण, बीमा, प्रशिक्षण, आदि से संबंधित ब्लॉक स्तरीय विवरण एक मानचित्र में उपलब्ध हैं। उपयोगकर्ता खेत के लिए पुस्तिका, योजना दिशानिर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं।

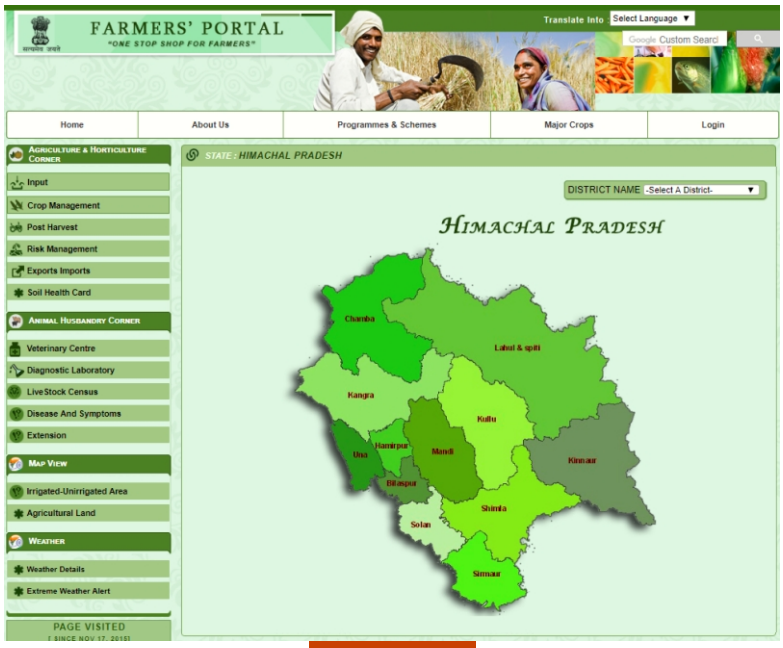

किसान पोर्टल

हिमाचल प्रदेश >> अपना राज्य चुनें >> अपने ब्लॉक का चयन करें >> अपनी फसल का चयन करके फसल जानकारी तक पहुंचें।

[4] किसान पोर्टल :https://farmer.gov.in/State.aspx?SCode=06

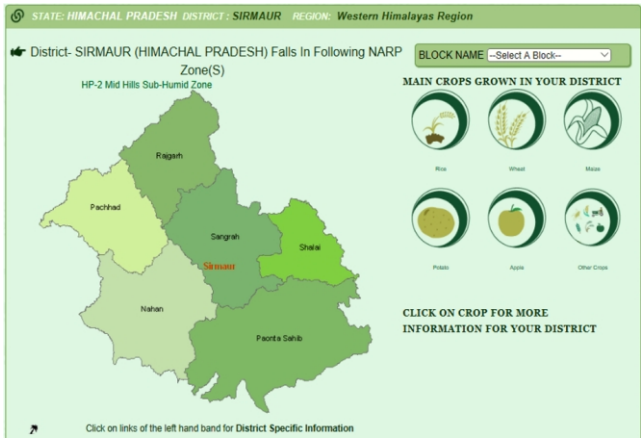

किसान पोर्टल में हिमाचल का जिलावार वर्णन

- **कृषि–क्लीनिक और कृषि–व्यवसाय सेवा योजनाः**

➢ **कृषि क्लिनिकः**

कृषि–क्लिनिकों में किसानों को मृदा स्वास्थ्य, फसल तकनीकों, पौधों की सुरक्षा, फसल बीमा, फसल के बाद की प्रौद्योगिकी और पशुओं के लिए नैदानिक सेवाएं, चारा और चारा प्रबंधन, विभिन्न फसलों की कीमतों सहित विभिन्न तकनीकों पर विशेषज्ञ सलाह और सेवाएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई है जो फसलों/पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाएगा और किसानों को आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा ।

➢ **कृषि–व्यवसाय केंद्रः**

कृषि–व्यवसाय केंद्र प्रशिक्षित कृषि पेशेवरों द्वारा स्थापित कृषि–उपक्रमों की व्यावसायिक इकाइयाँ हैं। इस तरह के उपक्रमों में कृषि उपकरणों और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषि उपकरण और अन्य सेवाओं की बिक्री और रखरखाव शामिल हो सकते हैं, जिसमें फसल उत्पादन के बाद का प्रबंधन और आय सृजन और उद्यमिता विकास के लिए बाजार संपर्क शामिल हैं। कृषि–क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केंद्रों की योजना कृषि–स्नातकों के बीच लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि कृषि व्यवसाय/कृषि–उद्यम की स्थापना के लिए विशेष प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, सब्सिडी और मदद प्राप्त है, लेकिन देश में प्रशिक्षित कुल उम्मीदवार के मुकाबले कृषि–उद्यम स्थापना की सफलता दर कम है। पुरुष और महिला उम्मीदवारों सहित 34817 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के मुकाबले सफलता की दर 37 प्रतिशत है। भारत में कृषि–क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के साथ एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति की भी आवश्यकता है।

> कृषिउद्यमी को, ऐसे उद्यमी जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि या कृषि से संबंधित है, के रूप में परिभाषित किया गया है। कृषि उद्यमी = कृषिउद्यमी

➢ **प्रमुख बाधाएं**

- प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की उपलब्धता।
- प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग समर्थन के संबंध में नोडल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता और विभिन्न हितधारकों के साथ उनके संपर्क।
- प्रशिक्षित स्नातकों को समय पर/ पर्याप्त ऋण प्राप्त करने और उसके लिए सब्सिडी की आसान उपलब्धता के लिए सहायता।
- धीरे–धीरे ऋण और सब्सिडी जारी करना – प्रशिक्षित कृषि–लाभार्थियों को ऋण/सब्सिडी के प्रवाह के लिए बैंकरों की प्रतिक्रिया।
- अपने स्वयं के निवेश या बहुत कम ऋण के साथ स्थापित छोटे उद्यमों को उनकी स्थिरता के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है।

➢ संशोधित कृषि क्लिनिक और कृषि–व्यवसाय केंद्र योजनाएँ

- बढ़ाई गई पात्रता मानदंड
- प्रशिक्षण के लिए उन्नत वित्तीय मानदंड
- सफल कृषि–लाभार्थियों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण
- [5]मौजूदा पूंजी और ब्याज सब्सिडी को समग्र सब्सिडी (36 प्रतिशत और 44 प्रतिशत) से बदल दिया गया
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत लाभ
- [6]सब्सिडी उद्देश्य के लिए परियोजनाओं की सीलिंग लागत (20/25 लाख और 100 लाख)

➢ [7]प्रशिक्षण नेटवर्क : प्रशिक्षण नेटवर्क के लिए निम्नलिखित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनः

- नोडल प्रशिक्षण संस्थान (एन.टी.आई.) – 181
- राज्य कृषि विश्वविद्यालय – 16
- राज्य सरकार के संस्थान – 08
- एन.जी.ओ. – 36
- कृषि व्यवसाय कंपनियां – 100
- सहकारी प्रबंधन संस्थान – 11
- कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.) – 10

➢ प्रशिक्षण सामग्रीः

- बुनियादी कृषि ज्ञान
- केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं
- क्षेत्र भ्रमण
- कृषि विस्तार
- आईटी–सक्षम कृषि विस्तार सलाहकार सेवाएं
- बाजार सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष अनुभव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट[8] तैयार करने सहित कृषि–उद्यमिता विकास।

सूचना ग्राहक सेवा
वेबसाइटः www.agriclinics.net
हेल्पलाइन नं 1800 425 1556
कृषिउद्यमी – मासिक ई–बुलेटिन

➢ विभिन्न सरकारी योजनाएं और लाभ

भारत सरकार और राज्य सरकार ने समय–समय पर समाज के वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। कृषि और बागवानी के तहत कुछ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजनाएं अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी में सूचीबद्ध हैं।

[5]www.agriclinics.net
[6]www.agriclinics.net
[7]स्रोत : नाबार्ड अगस्त 2015 रिपोर्ट
[8]स्रोतः ACABC - मूल्यांकन अध्ययन 2006

तालिकाः कृषि विभाग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ

क्रमांक	योजना का नाम	योजनाओं का अवलोकन	लाभ
1.	किसान को दी जाने वाली 85 प्रतिशत सब्सिडी	• व्यावसायिक फसल से सब्जी का विविधीकरण • जैविक खेती प्रमाणन • हैंड पूल और ब्रश कटर	• सब्सिडी पर बीज • किसानों द्वारा 50 प्रतिशत योगदान • 50 प्रतिशत अनुदान
2.	राष्ट्र खाद्य सुरक्षा मिशन	• अनाज की फसलों के हाइब्रिड बीज गेहूं, मक्का और दलहन	• 50 प्रतिशत अनुदान
3.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	• किसानों को मिट्टी के नमूने की सुविधा • मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना	• 100 प्रतिशत निःशुल्क
4.	वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना	• पॉली हाउस और माइक्रो इरिगेशन • माइक्रो इरिगेशन (स्प्रिंकलर/ ड्रिप सिस्टम पहली हाउसेस फिजिबिलिटी के अनुसार)	• 100 प्रतिशत निःशुल्क
5.	राजीव गांधी कृषि व्यवसाय	• ड्रिप सिंचाई प्रणाली का प्रावधान • माइक्रो-स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रावधान • मिनी- स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रावधान • पोर्टेबल उठा ले जाने लायक स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रावधान • अर्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रावधान • बड़ी संख्या में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का प्रावधान	• किसान को 80 प्रतिशत अनुदान
6.	प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना	• सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंक का विकास • उठाऊ सिंचाई	• सामुदायिक स्तर की सिंचाई योजनाएँ
7.	उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना	• पूरे राज्य में किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना	• ब्लॉक मुख्यालय से खुदरा बिक्री बिंदुओं तक सभी प्रकार के उर्वरकों के परिवहन पर 100 प्रतिशत सब्सिडी
8.	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	• पूरे राज्य में किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना	• मौजूदा 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी
9.	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	• पूरे राज्य में किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना	• पम्पिंग मशीनरी के लिए 50 प्रतिशत सहायता
10.	मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना	• जैविक खेती को बढ़ावाव • वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों का निर्माण	• पम्पिंग मशीनरी के लिए 50 प्रतिशत सहायता
11.	शून्य बजट प्राकृतिक खेती	• शून्य बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना • प्रदर्शन इकाई खेत स्तर पर	• किसानों के लिए बीज और ड्रम का प्रावधान • निःशुल्क फील्ड प्रदर्शन इकाई

तालिकाः बागवानी विभाग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ

क्रमांक	योजना का नाम	योजनाओं का अवलोकन	लाभ
1	पुष्प क्रांति योजना	• फूलों और सजावटी फसलों की व्यावसायिक खेती को अपनाना • ग्रीनहाउस में फूलों की खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, फसल कटाई के बाद की सुविधाएं विशेष रूप से विपणन प्रदान करता है	• बीज, उर्वरक, कीटनाशक, छोटे किसानों को 25 प्रतिशत और सीमांत किसानों को 33 प्रतिशत पर। • निःशुल्क प्रशिक्षण और शैक्षिक भ्रमण।
2	मशरूम का संवर्धन और विकास	• मशरूम की खेती पर 10 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण • मशरूम उत्पादक के रूप में प्रशिक्षित किसानों का पंजीकरण • विभागीय इकाइयों से पास्चुरीकृत मशरूम खाद काउत्पादन और आपूर्ति • गुणवत्ता युक्त मशरूम स्पॉन की उपलब्धता • मशरूम खाद की परिवहन सुविधा	• मशरूम की खेती पर 10 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण • मशरूम उत्पादक किसानों के रूप में प्रशिक्षित किसानों का मुफ्त पंजीकरण • विभागीय इकाइयों से पास्चुरीकृत मशरूम खाद की आपूर्ति • मशरूम खाद के परिवहन पर 100 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा
3	जैविक खेती और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना	• जैविक खेती को बढ़ावा • जैविक प्रमाणन • वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ	• जैविक खेती को अपनाने के लिए 10,000 रुपये प्रति हेक्टर • लगातार 3 साल तक जैविक खेती को अपनाने के बाद किसान समूह के लिए 5 लाख / वर्ष लागत का 90 प्रतिशत • कंक्रीट संरचना 30×8×2.5 के लिए 15000 रुपये प्रति यूनिट
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना	• सिंचाई के लिए जल भंडारण टैंक का विकास • उठाऊ सिंचाई	• सामुदायिक स्तर की सिंचाई योजनाएँ
5	मुख्य मंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना	• पहली हाउसों में पहली शीट को बदलने की योजना पॉलीहाउस की स्थापना के 5 साल बाद या प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षति।	• प्रतिस्थापन के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा
6	बागवानी विकास योजना	• पंजीकृत सरकारी और निजी नर्सरी से फलों के पौधों और सजावटी पौधों की सामग्री की आपूर्ति। • बागवानी इनपुट की आपूर्ति • नए बाग की स्थापना (व्यक्तिगत रूप से या गार्डन कॉलोनी के रूप में)	• व्यक्तिगत बाग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को 50 प्रतिशत, छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, और सीमांत किसानों को 33.33 प्रतिशत। अधिकतम सीमा- 3000 रु ।
7	पौध संरक्षण सेवाएँ	• कीटनाशकों और उपकरणों की आपूर्ति • किसानों के खेतों में जैव उर्वरकों का छिड़काव	• छोटे/सीमांत किसानों को 50 प्रतिशत और बड़े किसानों को 30 प्रतिशत अनुदान
8	बागवानी फार्म व नर्सरी सेवाएँ	• आधुनिक बागवानी तकनीक के लिए प्रदर्शन	• निः शुल्क प्रदर्शन
9	बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन	• मधुमक्खी पालन का विकास	• 800 रुपये प्रति छत्ता मधुमक्खी कहलोनी के साथ, छत्ते के साथ अधिकतम 50 मधुमक्खी कॉलोनी की आपूर्ति।

तालिका 3: संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण विभाग और उनकी वेबसाइट

क्रमांक	विभाग	वेबसाइट
1	हिमाचल प्रदेश एग्रीसिनेट	http://hpagrisnet.gov.in/
2	कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश	http://www.hpagriculture.com/ http://hpagrisnet.gov.in/agriculture/default.aspx
3	मत्स्य विभाग, हिमाचल प्रदेश	http://hpagrisnet.gov.in/fisheries/default.aspx
4	उद्यानिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश	http://hpagrisnet.gov.in/horticulture/default.aspx
5	पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश	http://hpagrisnet.gov.in/animal-husbandry/default.aspx
6	डॉ यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन	http://www.yspuniversity.ac.in/
7	चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर	http://www.hillagric.ac.in/
8	राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, शिमला	http://sametihp.com/
9	हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट	http://himachal.nic.in/
10	हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड	http://hpsamb.nic.in/
11	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	http://agriculture.gov.in/
12	कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार	http://agricoop.nic.in
13	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारत सरकार	http://nhb.gov.in/
14	नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)	https://www.nabard.org/

सत्र-2 विभिन्न बीमा उत्पाद, बीमाकृत राशि और जोखिम न्यूनीकरण

उद्देश्य

- प्रतिभागियों को वर्णन करना कि विभिन्न कृषि सरकारी योजनाएँ क्या हैं, इनका उपयोग कैसे किया जाए और किसानों को इससे क्या लाभ हो सकते हैं।

सरलीकरण

चरण 1 सुगमकर्ता एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हैंडआउट्स का परिचय दें। इसमें सत्र का उद्देश्य और प्रक्रिया शामिल होगी। सुगमकर्ता द्वारा इस सत्र को लिया जाएगा।

चरण 2 प्रतिभागियों को सरकारी कृषि योजनाओं की समझ रखने के महत्व पर जोर दें। यह पता करें कि उनमें से कितने लोग ऐसी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और कितनी सुगमता से इसका उपयोग कर रहे हैं।

चरण 3 प्रतिभागियों के अनुसार वे कौन सी प्रमुख कृषि और बागवानी फसलें हैं जिसके लिए उन्हें बीमा की जरूरत है। उसके लिए आवेदन करते समय वे किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

आवश्यक सामग्रीः
पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, प्रासंगिक हैंडआउट्स, चार्ट पेपर, मार्कर, टेप

समयः
15 मिनट

सीखने योग्य तथ्य

S 2

विभिन्न बीमा उत्पाद, बीमाकृत राशि और जोखिम न्यूनीकरण

भारत में कृषि सूखे और बाढ़ जैसे जोखिमों के लिए अतिसंवेदनशील है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना व अगले सीजन के लिए उनकी ऋण पात्रता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में कई कृषि योजनाओं की शुरुआत की है।

1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मौसम किसान का सबसे बड़ा विरोधी है क्योंकि फसलें उगाते समय किसानों को बाढ़, सूखा, कीट, बीमारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। फसल बीमा, जो भारत में काफी समय से हो रहा है, एक जोखिम प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग किसान कर सकते हैं। यह क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है और अत्यधिक विकसित नहीं है। इसलिए इसमें और सुधार की गुंजाइश है। संबंधित संगठनों के साथ परामर्श करके कृषि–बीमा में मौसम संबंधी आवश्यकताओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

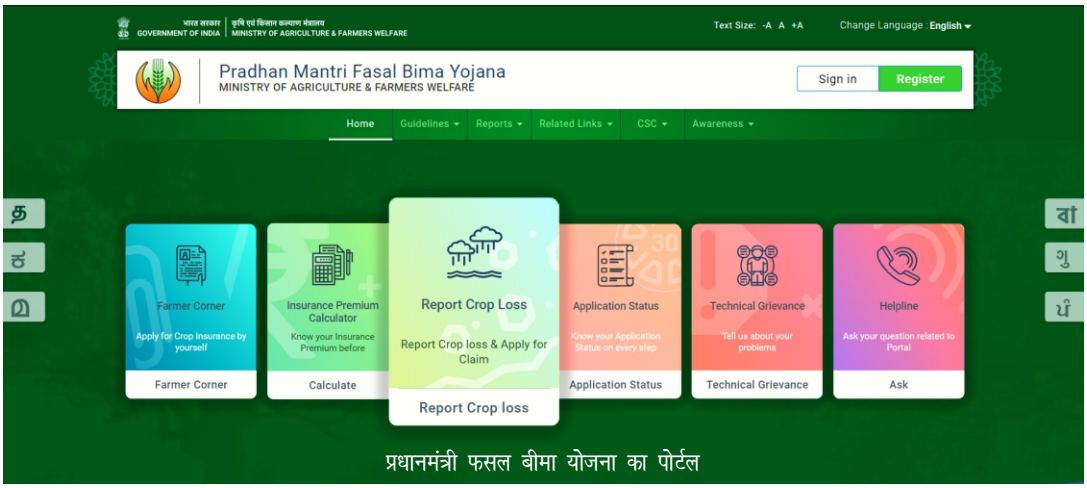

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल

[9]

वेबसाइट कैसे उपयोग करें:

चरण 1: किसान कॉर्नर– फसल बीमा के लिए आवेदन करें।
चरण 2: बीमा प्रीमियम गणक – पहले से जान लें कि आपको प्रीमियम का कितना भुगतान करने की आवश्यकता है।
चरण 3: फसल हानि की रिपोर्ट – बताएं कि क्या आपकी फसल खराब हुई है और दावे के लिए आवेदन करें।
चरण 4: आवेदन की स्थिति– हर चरण पर अपने आवेदन की स्थिति जानें।
चरण 5: शिकायतें – यदि आप अपने दावे के बारे में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो शिकायत करें।

2. मौसम आधारित फसल बीमा योजना

मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य वर्षा, तापमान, हवा, आर्द्रता आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थिति से होने वाली अनुमानित फसल हानि के कारण बीमित किसानों की आर्थिक क्षति की संभावना को कम करना है। यह योजना मौसम के मापदंडों को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करती है किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए।

[9] *https://pmfby.gov.in/*

➢ **किसानों की बीमाकृत राशि**

बटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों को उगाने के लिए कवरेज के पात्र हैं। हालांकि, किसानों को अधिसूचित/बीमित फसलों में बीमायोग्य हित होना चाहिए। गैर–ऋणी किसानों को राज्य अभिलेखों में प्रचलित भूमि अभिलेखों के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जैसे भूमि अधिकार प्रमाण पत्र आदि और अनुबंध/समझौते के विवरण/अन्य दस्तावेजों जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है (बंटाईदार/किरायेदार किसानों के मामले में)

➢ **फसलों की बीमाकृत राशि**

- ❑ खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें)
- ❑ तिलहन
- ❑ वाणिज्यिक/बागवानी फसलें

➢ **मौसम के विपरीत प्रभाव को बीमाकृत किया जा सकता है** –

प्रमुख मौसम की गड़बड़ियों के बाद, जिन्हें प्रतिकूल मौसम घटना' का कारण माना जाता है, जो फसल के नुकसान का कारण होती है, इस योजना के तहत शामिल हैं:

- ❑ वर्षा – कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, वर्षा के दिन, शुष्क दिन।
- ❑ तापमान– उच्च तापमान (गर्मी), कम तापमान
- ❑ सापेक्षिक आर्द्रता
- ❑ हवा की गति
- ❑ उपरोक्त में से कोई संयोजन
- ❑ ओलावृष्टि और बादल फटना
- ❑ राज्य सरकार को राज्य में स्थिति के अनुसार प्रतिकूल मौसम घटना को जोड़ने/हटाने की शक्ति है

➢ **बीमा की अवधि**

बीमा अवधि आदर्श रूप से बुवाई की अवधि से फसल की परिपक्वता तक होगी।जोखिम की अवधि चुनी गई फसल की अवधि और मौसम के मापदंडों के आधार पर फसल और संदर्भ इकाई क्षेत्र के साथ भिन्न हो सकती है।

चर्चा के बिंदु

फसल बीमा के साथ प्रतिभागियों के अनुभव क्या रहे हैं – क्या उन्हें बीमा या दावा प्रक्रिया या दावा मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

प्रश्नावली

1 कृषि विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाएँ क्या हैं?

क राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

ख राष्ट्र खाद्य सुरक्षा मिशन

ग मृदा स्वास्थ्य कार्ड

घ उपरोक्त सभी

2 प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना है

क बीज सब्सिडी योजना

ख सामुदायिक स्तर की सिंचाई योजना

ग परिवहन सब्सिडी योजना

घ इनमे से कोई भी नहीं

3 फसल बीमा जोखिम प्रबंधन उपकरण है जिसका उपयोग किसान कर सकते हैं।

सत्य

असत्य

4 किस बीमा योजना का उद्देश्य मौसम की प्रतिकूल घटनाओं के कारण नुकसान के खिलाफ बीमित किसान की कठिनाइयों को कम करना है?

क प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

ख प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना

ग शून्य बजट प्राकृतिक खेती

घ उपरोक्त सभी

5 एग्री-क्लीनिक के क्या लाभ हैं?

क फसलों/पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय सुनिश्चित करना।

ख उद्यमिता विकास

ग इनमे से कोई भी नहीं

घ दोनों क और ख

6 कृषि और सहकारिता विभाग का किसान पोर्टल है:

क किसानों के लिए कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने का एक मंच

ख किसान बीमा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए एक मंच

ग उर्वरक, बीज, फसलों और बाजार की कीमतों के विवरण के लिए एक मंच।

घ इनमे से कोई भी नहीं

7 मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल फसलें क्या हैं?

क खाद्य फसलें (अनाज/बाजरा/दालें)

ख तिलहन

ग बागवानी फसलें

घ उपरोक्त सभी

8 निम्नलिखित प्रमुख मौसम घटनाओं से कौन सी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है?

क वर्षा- खराब वर्षा, अत्यधिक वर्षा, बेमौसम वर्षा, बारिश के दिन

ख उच्च/ निम्न तापमान

ग सापेक्ष आर्द्रता

घ पवन की गति

ङ ओले

च उपरोक्त सभी

9 उपयोगकर्ता किसान पोर्टल से हैंडबुक, योजना दिशानिर्देश आदि डाउनलोड कर सकते हैं।

सत्य

असत्य

10 किसान कॉल सेंटर के लिए किसान किन तरीकों से पंजीकरण करा सकते हैं?

क कॉल के माध्यम से

ख वेब पंजीकरण के माध्यम से

ग एसएमएस के माध्यम से

घ कार्यकर्ताओं द्वारा पंजीकरण

ङ उपरोक्त सभी

Expert Agency:

पताः A1/A2, लुइस प्लाजा, तीसरी मंजिल
लूइस मार्ग, बीजेबी नगर, भुबनेश्वर 751014 ओड़ीशा
दूरभाषः +91 674 2430041, 2432695
ई–मेलः ctran@ctranconsulting.com
वेबसाइटः www.ctranconsulting.com

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण भवन, निकट– यू.एस. क्लब
शिमला, हिमाचल भवन 171001
ई–मेलः dc.rana04@nic.in
दूरभाषः +91 177 2659608
वेबसाइटः https://www.desthp.nic.in
@desthp